न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

रामदेवी पत्नि मारखनलाल यादव ,

निबासी ग्राम देवरदा , तह0 वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ म प्र0

................आवेदकगण

वनाम

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकि‍ा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 27/अ–06/2010–11 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20/07/2012 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी देवरदा द्वारा एक प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम देवरदा स्थित भूमि खसरा नंबर 245/2/2 रकवा 1.000 हेक्टेयर आवेदिका के नाम से बिना किसी सक्षम अध्किारी के आदेश के खसरा में रोस्टर के दौरान 2004–05 में दर्ज की गई है। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा उपरोक्त प्र0 क0 दर्ज करके आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किये बगैर ही , दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बगैर ही अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर आदेश पारित किया है। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है।

राजेन्द्र पटैरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि0- 142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451062

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1505/I/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **रामदेबी यादव वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7-10-16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा, यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2012 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का अवेदनपत्र तथा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से बिद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। बिलंब का कारण उचित होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र स्वीकार करके निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। 2– आवेदक द्वारा निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, निगरानी आवेदनपत्र, प्रश्नाधीन आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिनके अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम देवरदा स्थित भूमि खसरा कमांक 245/2/2 आवेदिका के नाम पर भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। जिसके संबंध में पटवारी द्वारा तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार द्वारा उपरोक्त वादभूमि इस आधार पर आवेदिका के नाम से निरस्त कर शासन के नाम पर दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया कि, वह बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज की गई है। आवेदिका अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि उपरोक्त भूमि आवेदिका के नाम से ग्राम देवरदा की नामांतरण पंजी कमांक 01 दिनांकित 02/05/2004 के आधार पर दर्ज की गई है। आवेदिका को विधिवत रूप से तहसीलदार द्वारा ब्यवस्थापन किया गया था। जिसके आधार पर उसका नाम दर्ज किया गया था। आवेदिका को तहसीलदार द्वारा विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं	

किया गया है। मात्र प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई है। तहसीलदार को प्रकरण मे आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। अधिकारिता विहीन कार्यवाही है।

3— आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, जिनके अनुसार आवेदिका के नाम से वादभूमि 2004 में दर्ज की गई थी, तभी से 2012 तक करीब 08 साल तक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज रही है। तहसीलदार को उपरोक्त प्रबिष्टि संशोधित करने का अधिकार नहीं था। क्योंकि संहिता की धारा 115—116 में तहसीलदार को एक बर्ष की अवधि की प्रबिष्टि ही सुधार करने का अधिकार है। जबकि आवेदिका का नाम आठ साल से दर्ज था। तहसीलदार द्वारा आवेदिका को दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का भी पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जिस कारण से उपरोक्त प्रश्नाधीन आदेश अधिकारिता विहीन एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0क0 27/अ—6/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2012 निरस्त किया जाता है। वादभूमि पर आवेदिका का नाम पूर्ववत दर्ज किया जाबे। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य